

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जनवरी 2015—पौष 17, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. 153-6-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 जनवरी 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१४

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
२. धारा ४-क का संशोधन.
३. धारा १४ का संशोधन.
४. धारा १८ का संशोधन.
५. धारा २० का संशोधन.
६. धारा २०-क का संशोधन.
७. धारा २४ का संशोधन.
८. धारा ३४-क का अंतःस्थापन.
९. धारा ३७ का संशोधन.
१०. धारा ४० का संशोधन.
११. धारा ४६ का संशोधन.
१२. धारा ५८ का संशोधन.
१३. धारा ६२ का संशोधन.
१४. अनुसूची-१ का संशोधन.
१५. अनुसूची-२ का संशोधन.
१६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१५

### मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक ६ जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ७ जनवरी, २०१५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.].

#### मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (एक) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से लागू होंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (दो) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (तीन), १२ और १३ के उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

(घ) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १६ सितम्बर, २०१४ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

धारा ४-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४-क में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, व्यापारी द्वारा प्रत्येक छह कलेंडर मास या उसके भाग की कालावधि के स्थगन में वृद्धि के लिए, प्रथम अपील में आदेश पारित होने के पश्चात् व्यापारी से कुल अतिशेष देय के पांच प्रतिशत के समतुल्य रकम के भुगतान पर एक बार में अधिकतम छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.”

धारा १४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण : जहां किसी विनिर्माण की प्रक्रिया से अनुसूची १ के साथ-साथ अनुसूची २ का माल प्राप्त होता है, वहां आगत कर रिबेट की संगणना, आगत कर का अनुसूची १ और अनुसूची २ के ऐसे निर्मित मालों के मूल्य के अनुपात में विभाजन करने के पश्चात्, की जाएगी.”;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(३) इस धारा के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर, ब्याज और शास्ति के मद्दे समायोजित की जाएगी. और अतिशेष, यदि कोई हो, को पश्चात्वर्ती वर्ष में समायोजन के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा और यदि आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो सुसंगत वित्तीय वर्ष के कर निर्धारण के पश्चात् प्रतिदाय के रूप में प्रदान किया जाएगा.”

(तीन) उपधारा (६) में, खण्ड (नौ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(दस) उस माल के संबंध में, जिसके बिल, बीजक या केशमेमों में विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उसमें यथावर्णित क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का क्रमांक उपदर्शित न किया गया हो.”

४. मूल अधिनियम की धारा १८ में,—

धारा १८ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द “पांच हजार रुपये के अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की राशि” के स्थान पर, शब्द “पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् रुपये एक हजार प्रतिदिन की राशि” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (४क) में, शब्द “दस हजार” के स्थान पर शब्द “पचास हजार” स्थापित किए जाएं.

५. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा २० का संशोधन.

- “(२) (क) इस धारा या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान, यदि आयुक्त का सामाधान हो जाता है कि कर का अपवंचन किया गया है या कर अपवंचन की संभावना है या कर दायित्व सही-सही प्रकट नहीं किया गया है या क्रय या विक्रय के किसी भी संव्यवहार को लेखबद्ध न करके या गलत तरीके से लेखबद्ध करके किन्हीं कालावधियों या कालावधि के संबंध में किसी व्यापारी द्वारा अधिक आगत कर रिबेट का दावा किया गया है, या किसी दावे को गलत तरीके से किया गया है, तो आयुक्त ऐसे व्यापारी को सूचना और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे संव्यवहार या दावे के संबंध में ऐसे व्यापारी के कर का निर्धारण कर सकेगा.
- (ख) इस उपधारा के अधीन निर्धारण संबंधित वर्ष के संबंध में नियमित निर्धारण के अतिरिक्त होगा.
- (ग) इस उपधारा के अधीन निर्धारित कर संबंधित वर्ष के किसी नियमित निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा.”.

६. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा २० की उपधारा (१) के परन्तुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा २० की उपधारा (१) के परन्तुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी तथा धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन आगत कर रिबेट के प्रतिदाय का दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न” स्थापित किए जाएं.

धारा २०-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (५) में, खण्ड (ख) में, कोष्ठक, अंक और शब्द “(४) तथा (५)” के स्थान पर, कोष्ठक, अंक और शब्द “(२), (४) तथा (५)” स्थापित किए जाएं.

धारा २४ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ३४-क का अंतःस्थापन.

“३४-क (१) जहां धारा २० की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यापारी की किसी कालावधि के लिए कर निर्धारण करने की कार्यवाही में, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण व्यापारी के कर का उच्च दर से निर्धारण किसी आदेश द्वारा किया जाता है, तो उसे उसके अपील के अधिकार का परित्याग करने और उसके बदले में, ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, निर्धारण प्राधिकारी को शेष घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु और समय, जो कि चौबीस कलेंडर मास से अधिक नहीं होगा, दिए जाने के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा.

कतिपय परिस्थितियों में निर्धारण प्रकरण पुनः खोलने की शक्ति.

- (२) उपधारा (१) के अधीन और समय दिए जाने हेतु आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई रकम के साथ-साथ आवेदन किए गए और समय के प्रत्येक छह कलेंडर मास या उसके भाग के लिए विवादित अतिशेष के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम के भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न न किया गया हो.
- (३) उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारण प्राधिकारी उसे यथाआवेदित और समय देगा और दिए गए समय के दौरान, शेष रकम की वसूली स्थगित रहेगी :

परन्तु व्यापारी, उसे दिए गये समय का अवसान होने के पूर्व और समय, जो कुल मिलाकर चौबीस कलेंडर मास से अधिक नहीं होगा, दिए जाने हेतु, उपधारा (२) की अपेक्षा के अनुपालन के पश्चात् आवेदन कर सकेगा.

- (४) उपधारा (३) के अधीन दिए गये समय के दौरान, व्यापारी निर्धारण प्राधिकारी को शेष घोषणा-पत्रों के साथ, उसका प्रकरण पुनर्निर्धारण हेतु पुनः आरंभ करने हेतु आवेदन कर सकेगा. ऐसा कोई आवेदन ऐसी कार्यवाही के दौरान केवल एक बार ही ग्रहण किया जाएगा.
- (५) उपधारा (४) के अधीन घोषणा-पत्रों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारण प्राधिकारी व्यापारी द्वारा अब तक प्रस्तुत शेष घोषणा-पत्रों पर विचार करने के सीमित प्रयोजन के लिए प्रकरण पुनः आरंभ करेगा और उसके संबंध में, उपधारा (४) के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कलेंडर मास की कालावधि के भीतर, समुचित आदेश पारित करेगा.
- (६) जहां निर्धारित रकम की वसूली इस धारा के अधीन स्थगित रहती है और उपधारा (५) के अधीन विनिश्चय पर इस प्रकार स्थगित रकम पूर्णतः या भागतः यथावत् रखी जाती है, तो व्यापारी ऐसी रकम पर उस तारीख से जिसको कि मूल कर निर्धारण के आदेश के पश्चात् ऐसी रकम देय हो गई थी, उसके भुगतान की तारीख तक की कालावधि के लिए धारा २४ की उपधारा (६) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज चुकाने के दायित्वाधीन होगा. ”.

धारा ३७ का संशोधन. ९. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उपधारा (२) में शब्द “व्यापारी” के स्थान पर, शब्द “व्यापारी या व्यक्ति” स्थापित किए जाएं.

धारा ४० का संशोधन. १०. मूल अधिनियम की धारा ४० में, उपधारा (२) में शब्द “एक सौ” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ” स्थापित किए जाएं.

धारा ४६ का संशोधन. ११. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(एक) उपधारा (५) में, शब्द “अपील का विनिश्चय होने तक के लिए” के स्थान पर, शब्द “छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए, और उसके पश्चात् व्यापारी द्वारा शेष रकम के पांच प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त रकम के भुगतान पर अधिकतम छह कलेंडर मास की कालावधि के लिए, स्थगन में वृद्धि कर सकेगा,” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (६) में, पूर्णविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए, और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यदि व्यापारी द्वारा ऐसी अतिशेष रकम के तीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का भुगतान कर दिया जाता है, तो अपील बोर्ड अतिशेष रकम की वसूली धारा ४-क के उपबंधों के अनुसार स्थगित कर देगा.”.

धारा ५८ का संशोधन. १२. मूल अधिनियम की धारा ५८ में, उपधारा (१) में, शब्द “तो ऐसे यान का चालक या भार साधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्राप्त करेगा” के स्थान पर, शब्द “तो ऐसे यान का चालक या भारसाधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् अभिवहन में माल के बीजक, बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज और पूर्ण विहित आवेदन-पत्र एवं परिवहनकर्ता द्वारा जारी चालान, बिल्टी या कोई अन्य दस्तावेज अपने साथ रखेगा तथा राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्राप्त करेगा” स्थापित किए जाएं.

धारा ६२ का संशोधन. १३. मूल अधिनियम की धारा ६२ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द “और माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति” के स्थान पर, शब्द “माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति या माल का भण्डारण करने वाले किसी व्यक्ति” स्थापित किए जाएं;

- (दो) उपधारा (१) में, शब्द “माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति” के स्थान पर, शब्द “माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति या माल का भण्डारण करने वाला कोई व्यक्ति” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) स्पष्टीकरण में, खण्ड (दो) पूर्णविराम के स्थान पर अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(तीन) “माल का भण्डारण करने वाला व्यक्ति” में किसी शीतागार, भाण्डागार, गोदाम या किसी अन्य ऐसे स्थान, जहां किराए या प्रतिफल के लिए माल भाण्डारित किया जाता है, के स्वामी या पट्टाधारी के अतिरिक्त, प्रबंधक, भारसाधक व्यक्ति सम्मिलित होंगे.”.

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

अनुसूची-१ का संशोधन.

- (एक) अनुक्रमांक १ क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

- “१ ख (१) श्रेषर  
 (२) लेवलर  
 (३) स्क्रैपर  
 (४) कल्टीवेटर  
 (५) प्लाऊ  
 (६) मेज शेलर  
 (७) पोटेटो प्लांटर  
 (८) मेज प्लांटर  
 (९) पोटेटो डिगर  
 (१०) ग्राउंडनट डिगर  
 (११) सीड ड्रिल  
 (१२) सीड कास्टर  
 (१३) फर्टीलाइजर कास्टर  
 (१४) रीपर  
 (१५) शुगर केन कटर  
 (१६) शुकर केन प्लांटर  
 (१७) पोस्ट-होल डिगर  
 (१८) हैरो  
 (१९) बंड फार्मर  
 (२०) रिजर  
 (२१) केज व्हील  
 (२२) पैडी पडलर

- (२३) चाफ कटर  
 (२४) पाँवर टिलर  
 (२५) सीड ग्रेडर एवं सीड ग्रेडर मशीन  
 (२६) हार्वेस्टर  
 (२७) पैडी ट्रांसप्लांटर  
 (२८) स्प्रेयर  
 (२९) डस्टर  
 (३०) सीड ब्रॉडकास्टर  
 (३१) फर्टीलाइजर ब्रॉडकास्टर  
 (३२) विनोवर  
 (३३) प्रूनिंग इक्विपमेंट  
 (३४) बेलर”;

(दो) अनुक्रमांक ८८ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“८९ घुंघरू, घंटा, घड़ियाल, झांझ, मंजीरा, त्रिशूल, कमण्डल तथा देवी-देवताओं की मूर्ति (सोना, चांदी और अन्य उत्तम धातुओं से निर्मित को छोड़कर)”

अनुसूची-२ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-दो में,—

- (एक) अनुक्रमांक १ के सम्मुख, कॉलम २ में, शब्द “शारीरिक रूप से कार्यान्वित नहीं किए जाने वाले या पशुओं द्वारा नहीं चलाए जाने वाले” का लोप किया जाए;
- (दो) अनुक्रमांक ५ ग के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—  
 “५ घ. फ्लश डोर ५”;
- (तीन) अनुक्रमांक २२ क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—  
 “२२ ख. सेरामिक और विट्रीफाईड टाइल्स ५”;
- (चार) अनुक्रमांक ३९ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
- (पांच) अनुक्रमांक ५० के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—  
 “५० क. औद्योगिक निवेश के रूप में उपयोग हेतु थर्मल इन्सुलेटर ५”;
- (छह) अनुक्रमांक ५१ के सम्मुख, कॉलम (२) में, मद (४) में, उप मद (चार) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—  
 “(पांच) डाक्यूमेंट स्कैनर”;

- (सात) अनुक्रमांक ५४ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द और कोष्ठक “खोवा (मावा)” के स्थान पर, शब्द और कोष्ठक “खोवा (मावा), मक्खन” स्थापित किए जाएं;
- (आठ) अनुक्रमांक ५७ के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “चिकित्सीय उपकरण/यंत्र और इम्प्लांट्स” के स्थान पर, शब्द “चिकित्सीय उपकरण/यंत्र, इम्प्लांट्स और एक्स-रे फिल्म” स्थापित किए जाएं;
- (नौ) अनुक्रमांक ७६ के सामने कॉलम (२) में, शब्द “सिलाई एवं बुनाई मशीन” के स्थान पर, शब्द “सिलाई की सुईयां, सिलाई एवं बुनाई मशीन” स्थापित किए जाएं;
- (दस) अनुक्रमांक ९० के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “पॉवर टिलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर” का लोप किया जाए.
१६. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ४ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.
- (२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र.154-6-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 3 OF 2015

THE MADHYA PRADESH VAT ( SECOND AMENDMENT) ACT, 2014

TABLE OF CONTENTS.

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 4-A.
3. Amendment of Section 14.
4. Amendment of Section 18.
5. Amendment of Section 20.
6. Amendment of Section 20-A.
7. Amendment of Section 24.
8. Insertion of Section 34-A.
9. Amendment of Section 37.
10. Amendment of Section 40.
11. Amendment of Section 46.
12. Amendment of Section 58.
13. Amendment of Section 62.
14. Amendment of Schedule I.
15. Amendment of Schedule II.
16. Repeal and Savings.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2015

## THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2014

[Received the assent of the Governor on the 6th January, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th January, 2015.]

## An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fifth year of the Republic of India as follows :—

## Short title, and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2014.

2. (a) The provision of clause (i) of Section 3 of this Amendment Act shall be applicable from 1st April, 2006;

(b) The provision of clause (ii) of Section 3 of this Amendment Act shall be applicable to the periods commencing on or after 1st April, 2014;

(c) The provisions of clause (iii) of Section 3, 12 and 13 of this Amendment Act shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette;

(d) The remaining provisions of this Amendment Act shall be deemed to have come into force from the 16th September, 2014.

## Amendment of Section 4-A.

2. In Section 4-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that where such appeal is not so disposed of within the said period of stay as specified in the order of stay, the Appellate Board shall, on an application made in this behalf by the dealer and on being satisfied that the delay in disposing of the appeal is not attributable to the dealer, extend the stay for a maximum period of six calendar months at a time, on payment by the dealer of an amount equal to five percent of the total balance due from the dealer after the order passed in first appeal, for every extension of period of stay by six calendar months or part thereof.”.

## Amendment of Section 14.

3. In Section 14 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), in clause (a), after the second proviso, the following explanation shall be inserted, namely :—

“**Explanation.**—Where a manufacturing process results in manufacture of Schedule-I as well as Schedule-II goods, input tax rebate shall be computed after apportioning the input tax in proportion to the value of Schedule-I and Schedule-II goods so manufactured.”;

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(3) The input tax rebate by a registered dealer under this Section shall be adjusted in such manner as may be prescribed towards the tax, interest and penalty payable by him under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956). The balance, if any, may be carried over for adjustment in the subsequent year and if not carried over, shall be granted by way of refund after assessment of the relevant financial year.”;



(iii) in sub-section (6), in clause (ix), for full stop, the semi-colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely :—

“(x) in respect of goods, the bill, invoice or cash memorandum of which does not indicate registration certificate number of the purchasing registered dealer as mentioned therein by the selling registered dealer.”.

4. In Section 18 of the principal Act,—

**Amendment of Section 18.**

(i) in sub-section (4), in clause (d), for the words “a sum of rupees fifty per day of default subject to a maximum of rupees five thousand”, the words “a sum of rupees fifty per day for first thirty days of default and thereafter a sum of rupees one thousand per day, subject to a maximum of rupees fifty thousand” shall be substituted;

(ii) in sub-section (4A), for the words “ten thousand”, the words “fifty thousand” shall be substituted.

5. In Section 20 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

**Amendment of Section 20.**

“(2) (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section or any other provision of this Act, during the course of any proceedings under this Act, if the Commissioner is satisfied that the tax has been evaded or sought to be evaded or the tax liability has not been disclosed correctly or excess input tax rebate has been claimed by any dealer in respect of any period or periods by not recording or recording in incorrect manner, any transaction of sale or purchase, or that any claim has been incorrectly made, then the Commissioner may, after giving such dealer a notice and a reasonable opportunity of being heard, assess the dealer to tax in respect of such transaction or claim.

(b) The assessment under this sub-section shall be in addition to the regular assessment in respect of the relevant year.

(c) The tax assessed under this sub-section shall not be included in any regular assessment of the relevant year.”.

6. In section 20-A of the principal Act, in sub-section (1), for the words, bracket and figures “other than the registered dealer referred to in the proviso to sub-section (1) of section 20”, the words, brackets and figures “other than the registered dealer referred to in the proviso to sub-section (1) of Section 20 and the registered dealer claiming refund of input tax rebate under sub-section (3) of Section 14”, shall be substituted.

**Amendment of section 20-A.**

7. In section 24 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (b), for the brackets, figures and word “(4) and (5)”, the brackets, figures and word “(2), (4) and (5)” shall be substituted.

**Amendment of section 24.**

8. After section 34 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

**Insertion section 34-A.**

“34-A. (1) Where in a proceeding for assessment of any dealer referred to in clause (a) of sub-section (4) of Section 20 for any period, the dealer has been assessed, by an order, to tax at a higher rate on account of non-furnishing of declaration forms under the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), he shall have the option to forego his right to appeal and in lieu thereof, to apply, within thirty days from the date of service of such order, to the assessing authority to grant him further time, not exceeding twenty four calendar months, to furnish remaining declaration forms.

**Power to reopen assessment case in certain circumstances.**

(2) No application for granting further time under sub-section (1) shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of payment of the amount admitted by the dealer along with an amount equal to ten percent of the disputed balance for every six calendar months or part thereof, of the further time applied for.

- (3) On receipt of the application under sub-section (1), the assessing authority shall grant him further time as applied for and during the time granted, the recovery of the balance amount shall remain stayed :

Provided that the dealer may, before expiry of the time granted, apply to the assessing authority to grant him further time, not beyond twenty four calendar months in total, after complying with the requirement of sub-section (2).

- (4) During the time so granted under sub-section (3), the dealer may apply, along with the remaining declaration forms, to the assessing authority to get his case reopened for reassessment. Such an application shall be entertained only once in the course of such proceeding.
- (5) On receipt of an application along with the declaration forms under sub-section (4), the assessing authority shall reopen the case for the limited purpose of considering the remaining declaration forms since furnished by the dealer and pass an appropriate order in respect thereof, within a period of three calendar months from the date of receipt of the application under sub-section (4).
- (6) Where the recovery of an amount assessed remains stayed under this section and on a decision under sub-section (5) the amount so stayed has been maintained in whole or in part, the dealer shall be liable to pay interest on such amount at the rate specified in sub-section (6) of Section 24 for the period from the date on which such amount was due to be paid after the original order of assessment to the date of its payment.

**Amendmnet of Section 37.**

9. In section 37 of the principal Act, In sub-section (2), for the word "dealer", the words; "dealer or person" shall be substituted.

**Amendmnet of Section 40.**

10. In Section 40 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "one hundred", the words "five hundred" shall be substituted.

**Amendmnet of Section 46.**

11. In Section 46 of the principal Act,—

- (i) in sub-section (5), for the words "till the decision of appeal", the words "for a period of six calendar months and thereafter, extend the stay for a maximum period of six calendar months on payment, by the dealer, of an additional amount equal to five percent of the remaining amount" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (6), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided that if an amount equal to thirty percent of such balance is paid by a dealer, the Appellate Board shall stay the recovery of the balance amount in accordance with the provisions of section 4-A."

**Amendmnet of Section 58.**

12. In Section 58 of the principal Act, in sub-section (1), for the words " the driver or other person in-charge of such vehicle (hereinafter referred to as transporter) shall obtain in the prescribed form and manner, a transit pass from the check post officer of the first check post after his entry into the State", the words" the driver or other person in-charge of such vehicle (hereinafter referred to as transporter) shall, after his entry into the State, carry with him an invoice, bill or challan or any other document, completed prescribed application form of the goods in movement and challan, bilties or any other document issued by the transporter, and obtain in the prescribed form and manner, a transit pass from the check post officer of the first check post after his entry in to the State" shall be substituted.

**Amendmnet of Section 62.**

13. In Section 62 of the Principal Act,—

- (i) in the marginal heading, for the words "and any person transporting goods", the words "any person transporting goods or any person storing goods" shall be substituted.

- (ii) in sub-section (1), for the words "a person transporting goods", the words " a person transporting goods or a person storing goods" shall be substituted;
- (iii) in the Explanation, in clause (ii), for full stop, the semi-colon shall be substituted and thereafter the following new clause shall be inserted, namely:—
- “(iii) “Person storing goods” shall, besides the owner or lessee, include manager, a person in-charge of a cold storage, warehouse, godown or any other such place, where goods are stored for hire or reward.”.

14. In Schedule I to the principal Act,—

**Amendment of  
Schedule I.**

- (i) after serial number 1A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

- “1B. (1) Thresher,  
 (2) Leveler  
 (3) Scraper  
 (4) Cultivator  
 (5) Plough  
 (6) Maize Sheller  
 (7) Potato Planter  
 (8) Maize Planter  
 (9) Potato Digger  
 (10) Groundnut Digger  
 (11) Seed Drills  
 (12) Seed Caster  
 (13) Fertilizer Caster  
 (14) Reaper  
 (15) Sugarcane Cutter  
 (16) Sugarcane Planter  
 (17) Post Hole Digger  
 (18) Harrow  
 (19) Bund Former  
 (20) Ridger  
 (21) Cage Wheel  
 (22) Paddy Puddler  
 (23) Chaff Cutter  
 (24) Power Tiller  
 (25) Seed Grader and Seed Grader Machine  
 (26) Harvester  
 (27) Paddy Transplanter  
 (28) Sprayer  
 (29) Duster  
 (30) Seed Broadcaster  
 (31) Fertilizer Broadcaster  
 (32) Winnower  
 (33) Pruning Equipment  
 (34) Bailer”;

- (ii) after serial number 88, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“89. Ghungharu, Ghanta, Ghadiyal, Jhanjh, Manjira, Trishul, Kamandal and Idols of God and Goddess (other than those made of gold, silver and other noble metals)”.

**Amendment of  
Schedule II.**

15. In Schedule II to the principal Act, in Part-II,-

- (i) against serial number 1, in column (2), the words, not operated manually or not driven by animals" shall be omitted;
- (ii) after serial number 5C, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—  
"5D. Flush door 5";
- (iii) after serial number 22A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—  
"22B. Ceramic and vitrified tiles 5";
- (iv) serial number 39 and entries relating thereto shall be omitted;
- (v) after serial number 50, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—  
"50A. Thermal insulators for use as industrial input 5";
- (vi) against serial number 51, in column (2), in item (4), after sub-item (iv), the following sub-item shall be inserted, namely :—  
"(v) Document scanner";
- (vii) against serial number 54, in column (2), for the words and bracket "Khoa (Mawa)", the words and bracket "Khoa (Mawa), butter" shall be substituted;
- (viii) against serial number 57, in column (2), for the words "Medical equipments / devices and implants", the words "Medical equipments / devices, implants and X-ray films" shall be substituted;
- (ix) against serial number 76, in column (2), for the words "Sewing and knitting machines", the words "Sewing Needles, Sewing and Knitting Machines" shall be substituted;
- (x) against serial number 90, in column (2), the words "power tillers, threshers, harvesters," shall be omitted.

**Repeal and  
savings.**

16. (1) The Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2014 (No.4 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.